(ख) उन में से कितने व्यक्ति पुलिस

[illegible]

भरती किये गये?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). संविधान की धारा ३०६ के अन्तर्गत राज्य से सम्बन्धित कार्यों के पदों की भर्ती का नियमन राज्यों की विधान सभा या राज्य पाल द्वारा किया जाता है परन्तु ऐसा करते समय धारा ३३५ में की गई व्यवस्था के अनुसार, प्रशासन की कार्यक्षमता का बराबर ध्यान रखते हुए, इन जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जाता है। भारत सरकार प्रश्न में पूछी गई इस प्रकार की सूचना के आंकड़े एकत्र नहीं करती।

Recruitment of Assistant Commissioners

1408. Shri Siddiah: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Union Public Service Commission called for applications to fill up the vacancies of Assistant Commissioners for Scheduled Castes and Scheduled Tribes recently;

(b) if so, the total number of applications received; and

(c) the number of applications received from Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

The Deputy Minister of Home Affairs (Shrimati Alva): (a) Yes Sir.

(b) 149.

(c) 56 from Scheduled Castes. 26 from Scheduled Tribes.

Foreign Investments

1409. Shri Bhagavati: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total amount of private foreign investment in India at the end of March, 1957, country-wise;

(b) how much of such investment has fallen down after 1947; and

(c) what percentage of tea industry in India was owned by foreign companies, State-wise at the end of March, 1957?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). Information as at end of March 1957 is *not* available. Total foreign business investments as at end of June 1948 was Rs. 287.57 crores, as on 31st December 1953 was Rs. 415.73 crores (revised figures) and on 31st December 1955, was Rs. 477.97 crores (figures preliminary and not checked).

(c) Information is not available.

तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम

१४१०. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री ब० स० मूर्ति :

क्या शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करने से इन्कार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने इसके लिये क्या कारण बताये हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). वस्तुत किसी भी राज्य सरकार ने, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल है, अपने यहां तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम को लागू करने से इन्कार नहीं किया है। परन्तु उत्तर प्रदेश तथा अन्य कई राज्यों ने इसको लागू करने के लिए अपनी इच्छा अभी तक प्रकट नहीं की है।